

क्षतिपूरक वृक्षा रोपण हेतु स्थल उपयुक्तता/उपलब्धता का प्रमाण पत्र

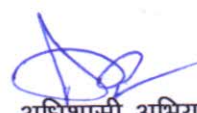
परियोजना का नाम :- राज्य योजना के अर्न्तगत जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकास - खण्ड डुण्डा के अर्न्तगत हरेती से जिनेथ होते हुए पटारा स्यालना मोटर मार्ग का नव निर्माण (लम्बाई -3.50 किमी०) हेतु 0.874 है० सिविल वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि विषयक परियोजना हेतु याचित भूमि 1.00 है० से कम यानि 0.874 है० मात्र वन भूमि है, 1.00 है० से कम वन भूमि होने के फलस्वरूप अपर सचिव उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं० 56/7-1, (व०भू०ह०) 66(75) 2008, दिनांक 22.03. 2012 के अनुसार परियोजना पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण लागू न होने के आदेश प्राप्त है, जिस कारण परियोजना हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिये स्थल उपयुक्तता/उपलब्धता का प्रमाण पत्र एवं प्राक्कलन की आवश्यकता नहीं है।


 वनिष्ठ अभियन्ता
 प्रा०ख०, लो०नि०वि०
 उत्तरकाशी


 वन क्षेत्राधिकारी
 धरासू वन रेंज


 सहायक अभियन्ता
 प्रा०ख०, लो०नि०वि०
 उत्तरकाशी


 अधिशासी अभियन्ता
 प्रा०ख०, लो०नि०वि०
 उत्तरकाशी


 (विनिष्ठ लिख पत्र)
 वन क्षेत्राधिकारी


 (साफर्य लाल)
 वन क्षेत्राधिकारी


 उप प्रभागीय वनाधिकारी
 उत्तरकाशी वन प्रभाग
 उत्तरकाशी


 प्रभागीय वनाधिकारी
 उत्तरकाशी वन प्रभाग
 उत्तरकाशी